

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/PMC/विविध/168/2023-पार्ट-I 253

पटना, दिनांक : 30/03/26

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन  
मुख्य अभियंता  
योजना एवं मोनिटरिंग  
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)  
सभी अधीक्षण अभियंता,  
सभी कार्यपालक अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य विभागों को प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वामित्व/ मालिकाना फीस की कटौती संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक-2093 दिनांक-21.03.2026


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि खान एवं भूतत्व विभाग, पटना से प्राप्त पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


  
30/3/26  
(ब्रजेश मोहन)

मुख्य अभियंता,  
योजना एवं मोनिटरिंग।

ज्ञापांक:-1/PMC/विविध/168/2023-पार्ट-I 253

पटना, दिनांक : 30/03/26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

  
30/3/26  
(ब्रजेश मोहन)

मुख्य अभियंता,  
योजना एवं मोनिटरिंग।

By Email

58

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक-सी0सी0-03/2020(कार्य विभाग)-2093/एम0, पटना, दिनांक-21.03.26  
प्रेषक,

भारत भूषण प्रसाद,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/  
जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/  
भवन निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन/विभाग/  
ग्रामीण कार्य विभाग/पंचायती राज विभाग/  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

आयुक्त (मनरेगा),  
ग्रामीण विकास विभाग।

निदेशक,

बिहार अक्षय उर्जा विकास एजेंसी, बिहार, पटना/बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति  
निगम/बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बिहार, पटना/भारतीय हवाई अड्डा  
प्राधिकरण, जय प्रकाश नारायण, अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार, पटना।

अध्यक्ष,

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।

अभियंता प्रमुख,

भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन  
विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

बिहार रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी।

प्रबंध निदेशक,

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा  
कॉम्प्लेक्स, सैदपुर, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, बी0एम0पी0-5  
कैम्पस, शेखपुरा, पटना-14/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/नॉर्थ बिहार  
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि0, द्वितीय तल्ला, विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार,  
पटना/साउथ बिहार पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन, बेली रोड,  
बिहार, पटना/बिहार ग्रीड कॉरपोरेशन लि0 विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार, पटना/  
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0/बिहार मेडिकल सर्विसेज इन्फ्रास्ट्रक्चर  
कॉरपोरेशन लि0/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम।

हाथी सं०...1999

दिनांक...25/03/26

मुख्य अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग  
जल संसाधन विभाग, पटना

कृ०पृ०उ०

अधीक्षण अभियंता  
योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1  
हाथी सं० 1382  
दिनांक 25/03/26

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना।

महाप्रबंधक,

पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-03, प्रथम तल,  
राजेश कुमार पथ, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना/बिहार राज्य पथ निर्माण  
निगम, पटना।

सभी प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

- विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य विभागों को प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वामिस्व/  
मालिकाना फीस की कटौती संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।
- प्रसंग: - विभागीय अधिसूचना संख्या-4374 दिनांक 16.10.2024, आदेश ज्ञापांक 1101 दिनांक  
10.02.2026 एवं पत्रांक 1433 दिनांक 20.02.2026
- महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कार्य  
विभागों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के बाबत मालिकाना फीस एवं  
स्वामिस्व की कटौती की जाँच हेतु अंकेक्षक दल मेसर्स पी० पुनीत एण्ड कम्पनी, पटना को  
अधिकृत किया गया है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019  
(यथा संशोधित) के नियम-57 के प्रावधानों के तहत सरकारी परियोजनाओं में व्यवहृत लघु  
खनिजों पर देय मालिकाना फीस की वसूली सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है।

उक्त क्रम में निदेशानुसार अनुरोध है कि आपके विभाग/निगम के अन्तर्गत  
परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित मालिकाना फीस के आधार पर  
मालिकाना फीस की राशि एवं नियमानुसार रॉयल्टी की राशि खनन शीर्ष में जमा कराने हेतु  
संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए एवं संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना  
उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही प्रासंगिक विभागीय आदेश द्वारा गठित अंकेक्षण  
दल/CA Firm को खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जाने वाली रॉयल्टी एवं मालिकाना  
फीस की गणना में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित को निदेशित करने की कृपा की

अनुलग्नक:-यथोक्त

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

